



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12795

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 37512 वर्ष 2025

रोहन मलिक

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता	: नरेन्द्र कुमार, योगेन्द्र पाल सिंह
विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता	: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री नरेंद्र कुमार, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री राम मोहित यादव, राज्य के विद्वान अ.शा.अधि. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 343 of 2025, धाराएं 103(1), 191(2), 191(3), 238, 3(5) बी.एन.एस., थाना मवाना, जनपद मेरठ में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त व्यक्तियों, सूरज और वंश पंडित को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 39602 of 2025 और 36027 of 2025 में 18.11.2025 और 16.10.2025 को पारित आदेशों द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक 27.8.2025 से जेल में बंद है। आवेदक को आरोपित दो प्रकरणों के आपराधिक इतिहास

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की व्याख्या की गई है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि चूंकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त की भूमिका के समान है जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

5. विद्वान अ.शा.अधि. द्वारा जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता और आवेदक के कोई आपराधिक इतिहास न होने के उपर्युक्त तथ्यात्मक पहलुओं का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया है।
6. सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) SCC 648** में अवलोकन किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक प्रकरणों का लंबित रहना स्वयं जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा उसका जमानत का प्रकरण बनता हो।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों, अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021** के प्रकरण में पारित निर्णय और इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नबहन खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938** के प्रकरण में पारित निर्णय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य, 2022 SCC OnLine SC 825** के प्रकरण में पारित निर्णय को दृष्टि में रखते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
8. आवेदक- **रोहन मलिक**, जो उपर्युक्त प्रकरण अपराध संख्या में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाव में नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।



9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।
10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, आवेदक और जमानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

19 जनवरी, 2026

विकास वर्मा